बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्र नगर, पटना – 800 004

Bihar Education Project Council,
Shiksha Bhawan, Rashtra Bhasha Parishad Campu
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna - 800 004

पत्रांक :- **Acctts/87/2012-13/Part-III/** 6571 दिनांक 21 /10/2021

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
(प्रा०शि०·एवं सर्व शिक्षा अभियान),
बिहार शिक्षा परियोजना,
सभी जिले।

विषय :- **PRABANDH Portal पर गैर आवर्ती मद् में व्यय की गई राशि की प्रविष्टि करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि Manual on Financial Management and Procurement of Samagra Shiksha के Para 2.10 के अनुसार गैर आवर्ती मद् (असैनिक एवं कार्यक्रम हेतु) में अनुमोदित बजट के विरूद्ध संबंधित वित्तीय वर्ष में पूर्णरूपेण राशि व्यय नहीं होने की स्थिति में उक्त अनुमोदित बजट की शेष राशि अगले वर्ष के लिए Spillover किया जाता है। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष के लिए गैर आवर्ती मद् में Fresh बजट भी स्वीकृत होता है। ऐसे में गैर आवर्ती मद् के तहत स्वीकृत बजट (Fresh एवं Spillover) के विरूद्ध व्यय की राशि को PRABANDH Portal पर प्रविष्टि हेतु निम्न निर्देश दिये जाते है :-

1. गैर आवर्ती मद् में अनुमोदित बजट के विरूद्ध वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्गत अग्रिम की प्रविष्टि PRABANDH Portal पर व्यय के रूप में प्रतिवेदित नहीं किया जाय।
2. पूर्व/वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक गैर आवर्ती मद में निर्गत अग्रिम राशि, जिसे व्यय के रूप में PRABANDH Portal/PMS Portal पर प्रतिवेदित नहीं किया गया हो, को मापी पुस्तिका/अभिश्रव के आधार पर ही समायोजनोपरान्त व्यय राशि की प्रविष्टि PRABANDH Portal पर की जाय।
3. गैर आवर्ती मद् में अनुमोदित बजट के विरूद्ध पूर्व में निर्गत अग्रिम राशि या मापी पुस्तिका/अभिश्रव के आधार पर व्यय राशि, जिसकी प्रविष्टि पूर्व में PRABANDH Portal/PMS Portal पर की जा चुकी है, की पुनः प्रविष्टि PRABANDH Portal/PMS Portal पर नहीं की जाय।

अतः उक्त निदेशों के अनुसार गैर आवर्ती मद् में व्यय राशि की प्रविष्टि PRABANDH Portal पर अंकित करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

21/10/21

(श्रीकान्त शास्त्री)
राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांक :- **Acctts/87/2012-13/Part-III/** 6571 दिनांक :- 21 /10/2021

प्रतिलिपि :- सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/असैनिक कार्य प्रबंधक (प्रभारी)/मुख्य लेखा पदाधिकारी (प्रभारी), राज्य स्तरीय कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/10/21

राज्य परियोजना निदेशक